संख्या–3667(1)/ पाँच–9–2013

प्रेषक,

यतीन्द्र मोहन,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–9 **लखनऊ : दिनांक 30 दिसम्बर, 2013**

विषयः– एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में ग्रुप एकाउण्ट के अतिरिक्त अन्य खातों का संचालन न किये जाने के संबंध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि प्रदेश के कतिपय जनपदों में एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में लेन–देन हेतु ग्रुप एकाउण्ट के अतिरिक्त अन्य खातों का भी संचालन किया जा रहा है जो शासन के दिशा–निर्देशों के विपरीत है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया ग्रुप एकाउण्ट के अतिरिक्त संचालित अन्य खातों को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाय और लेन–देन गुप एकाउण्ट के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जाय। इस संबंध में मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/लेखा/2013–14/4129–75, दिनांक 22.11.2013 को आपको पूर्व में भी निर्देश दिये जा चुके हैं।

भवदीय,

(यतीन्द्र मोहन)
संयुक्त सचिव।

संख्याः3667 (1)/पाँच–9–2013, तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, उ0प्र0, लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(यतीन्द्र मोहन)
संयुक्त सचिव।

SO